गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक 280 /म0प्लान अनु0/जोन-3/2016 दिनांक 21/3/17

सेवा में,

मै0 श्रेया डवलपर्स प्रा0लि0, (कन्सोंसियम)
रजि0 आफिस न0- 102/एफ/ एफ,
एल0एच0सी0, गाजीपुर,
प्लाट न0-2, वर्धमान मास्टर प्लाजा,
नई दिल्ली।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक- 10.5.16 के संदर्भ मे आपके द्वारा खसरा संख्या- 1541मि0, 1542 मि0, 1543मि0, 1565मि0, 1569मि0 एवं 1571मि0 ग्राम कुशलिया, गाजियाबाद पर समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग निर्माण हेतु प्रस्तावित मानचित्र संख्या- 103/जी0एच0/जोन-3/16 दिनांक- 10.5.16 को उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक- 14.10.16 को निम्न शर्तो/प्रतिबन्धो के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है-

1. यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पाँच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की इस स्वीकृति सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जीडीए) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नही होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है, उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 6.5.16 का पालन करना होगा।
5. विकासकर्ता द्वारा योजना के कियान्वयन डी0पी0आर0 के अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष/निस्तारित अवधि के अन्दर प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में विकासकर्ता को विकास शुल्क भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क व स्टाम्प-शुल्क मे दी गयी छूट तथा अन्य इन्सेन्टिव वापस ले लिये जायेंगे।
6. विकासकर्ता द्वारा योजना के विकास/निर्माणकार्य पूर्ण किये बिना भूमि अथवा उसके किसी भू-भाग का हस्तान्तरण/सब-लीजिंग अनुमन्य नहीं होगी। उल्लंघन की दशा में विकासकर्ता को प्रदत्त समस्त रियायतें/इन्सेंटिव वापस ले लिये जायेंगे।
7. विकासकर्ता डी0पी0आर0/परियोजना की स्वीकृति के समय रू0 100/- के स्टाम्प पेपर पर दिये गये शपथ पत्र अण्डरटैकिंग दिनांक 7.10.15 के अनुसार अर्फोडेबिल हाउसिंग के अन्तर्गत निर्मित भवनो की इस नीति के अधीन सीलिंग कास्ट से अधिक लागत पर तथा किसी व्यक्ति को एक से अधिक भवन/फ्लैट का आबंटन/विक्रय नहीं करेगा।
8. विकासकर्ता द्वारा विकसित योजना की सेवाओ का नगर निगम को हस्तान्तरण होने तक इनके रख-रखाव हेतु अनुबन्ध निस्पादित करना होगा। योजनान्तर्गत निर्मित अपार्टमेंट की कॉमन सुविधाओं के रख-रखाव हेतु उ0प्र0 अपार्टमेंट अधिनियमों के प्राविधानो के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।

9. योजना के विकास एवं निर्माण कार्य अनुमोदित डी0पी0आर0 के अनुसार समयबद्ध एवं गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करने हेतु विकासकर्ता द्वारा एग्रीमेंट एवं परफोरमेंस गारण्टी का निस्पादन करना होगा। योजना के समय वाहय एवं आन्तरिक विकासकार्य विकासकर्ता द्वारा अपनी लागत पर स्वयं क्रियान्वयन किये जायेंगे। परन्तु कतिपय ट्रंक अवस्थापना सुविधाओं यथा ड्रेनेज, सर्विसेज, जलापूर्ति आदि के लिए यदि कनेक्टिविटी प्राप्त की जाती है तो प्राधिकरण में समानुपातिक व्यय जमा कराना होगा।

10. अर्फोडेबिल हाउसिंग योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य की जा रही विभिन्न रियायतों को ध्यान में रखते हुए भवनों को सीलिंग कास्ट 75 वर्ग मीटर कारपेट एरिया की इकाई के लिए अधिकतम रू0 30 लाख होगी, जबकि इससे कम क्षेत्रफल के कारपेट एरिया की इकाईयों के लिए प्रो-राटा आधार पर कम रखनी होगी।

11. तहसील द्वारा प्राप्त एन0ओ0सी0 के आधार पर चकरोड व नालियों पर निर्माण की अनुमति प्रदान की गयी है। चकरोड व नालियों के एक्सचेंज डीड की भी कार्यवाही की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी, तथा चकरोड व नालियों/सरकारी भूमि में प्रभावित भाग पर स्थिति निर्माण/फ्लैटों का विक्रय एक्सचेंज डीड की कार्यवाही के उपरान्त ही किया जायेगा। इस पर किसी भी प्रकार के वाद/विवाद होने की दशा में पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

12. समाजवादी आवास योजना नीति हेतु निर्गत शासनादेश 12/2016/119/आठ-1-16-34 बैठक/2014 दिनांक - 12.1.16, 134/2016/120/आठ-1-16-34 बैठक/2014 दिनांक- 12.1.16 में उल्लेखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. आवेदक द्वारा प्रस्तुत समस्त शपथ पत्रों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

14. अग्निशमन विभाग की अनापत्ति पत्र संख्या-75/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ/411 दिनांक- 8.11.16 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

15. पर्यावरण/प्रदूषण विभाग की का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

16. हिण्डन एयरफोर्स की अनापत्ति का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

17. एन0सी0आर0 की अनापत्ति का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

18. विद्युत व्यवस्था हेतु उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन से स्वयं कनेक्शन प्राप्त करना होगा।

19. संरचना सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं पक्ष का होगा तथा पक्ष द्वारा भूकम्परोधी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

20. बेसमेंट एवं भवन निर्माण के समय सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा किसी भी प्राकर की क्षति के सम्बन्ध में निर्माणकर्ता/भू-स्वामी स्वयं उत्तरदायी होंगे। उक्त के सम्बन्ध में प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

21. भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी एवं भूकम्परोधी होने सम्बन्धी आई0आई0टी0, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र एवं स्ट्रक्चरल डिजाईन व ड्राइंग ए एम/सी ई/आईआईटीडी/एसपीएलएस/2016/1 के अनुसार स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देखरेख में कराना होगा। भूकम्परोधी व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन के निर्गत आदेशों संख्या- 570/9-आ-1-2001 (आ0ब0) दिनाक- 3.2.2001 ,772/9-आ-1-2001-भूकम्परोधी/2001(आ0ब0) दिनांक- 13.2.2001 तथा शासनादेश संख्या 3751/9-आ-1-2001-भूकम्परोधी/2001 (आ0ब0) दिनांक- 20.7.2001 में अंकित प्राविधानों एवं प्रतिबन्धों का पालन करना होगा। उक्त के अतिरिक्त निम्न पूरक प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा:-

(क) भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता जिन्हें भवन के कार्यो के पर्यवेक्षण मे कम से कम 15 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, अनुबन्धित किया जायेगा। पर्यवेक्षण मे यह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षाएव भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थाएँ करने के लिए जो डिजाईन अनुमोदित की गयी है, उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।

(ख) भवन निर्माण मे जो मुख्य सामग्रियॉं सीमेंट, स्टील/स्टोन ग्रिट, ईटें, कोर्स सेन्ड एव मार्टर तथा कंकरीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग मे लायी जायेगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्य स्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैम्पलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भैतिक रासायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्य स्थल पर ही उपलब्ध रहे ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यो का निरीक्षण करने के लिए जाये जो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सके।

(ग) यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नही किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नही होगी जो आगे का निर्माण कार्य रूकवाते हुए निर्माण को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे मे न केवल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक क्रिमिनल शिथिलता की परिधि मे माने जायेगें व तद्नुसार कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।

(घ) कार्य स्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फुट ग 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियो का नाम, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाईन इंजीनियर एवं सुपरविजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य स्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेगें।

1. नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।
2. अनुमोदित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा दी गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियॉं।
3. अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त नीव, सुपर स्ट्रक्चर की गणनायें एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चर डिटेल।
4. अधिकृत आर्कीटैक्ट द्वारा हस्ताक्षर एव मुहर युक्त समस्त वर्किंग ड्राइंग जिसमें सेक्शन एवं एलीवेशन तथा सर्विसेज डिटेल इत्यादि शामिल रहेंगे।
5. भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी० एण्ड पी० का विवरण।
6. साईट इंजीनियर इन्स्पैक्शन रिपोर्ट रजिस्टर।
7. सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर।

22. स्थल पर 50 वृक्ष प्रति हैक्टेयर की दर से रोपित करना होगा।
23. सोलर वाटर हीटिंग इक्यूपमेंट सिस्टम का प्राविधान बी०आई०एस० कोड के अनुसार एवं शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुरूप करना होगा।
24. रोड वाइडेनिंग से प्रभावित भूमि मे किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य न होगा तथा सीवर, सीवर डिस्पोजल, ड्रेन, ड्रेन डिस्पोजल , पीने के पानी की व्यवस्था इत्यादि का प्राविधान स्थल पर सुनिश्चित करना होगा।
25. भू–गर्भ जल उपयोग किये जाने पर सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

26. समस्त वाहय एवं आन्तरिक विकास कार्य पक्ष को स्वयं करने होंगे तथा सीवर डिस्पोजल की व्यवस्था हेतु ट्रीटमेंट प्लान्ट स्वयं निर्मित करना होगा।
27. कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
28. 15 प्रतिशत ग्रीन पार्क के नीचे बेसमेंट का निर्माण अनुमन्य एवं शमनीय नही होगा।
29. विकलांग व्यक्तियों हेतु नियमानुसार रैम्प का निर्माण करना होगा।
30. अन्दर के खुले/स्थल पार्क का उपयोग उसी रूप में करना हगा, अन्य उपयोग की दशा में दी गई स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
31. मानचित्र स्वीकृति, भू-स्वामित्व को प्रभावित नहीं करेगी। भू-स्वामित्व सम्बन्धी वाद विवाद होने तथा सरकारी भूमि पाये जाने की स्थिति में पक्ष स्वयं जिम्मेदार होगा तथा दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
32. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा यदि किसी शुल्क की मांग की जाती है तो उसे पक्ष को जमा कराना होगा।
33. विभिन्न मदों में प्राधिकरण में जमा की जाने वाली धनराशि को जमा किये जाने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को मानना होगा।
34. योजनान्तर्गत समस्त आन्तरिक एवं वाहय विकास कार्य कराये जाने का दायित्व विकासकर्ता मै० श्रेया डवलर्स प्रा०लि० द्वारा श्री सचिन गर्ग का स्वयं का है। जो कि निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार अपनी लागत पर विकासकर्ता को स्वयं कराने होंगे। परियोजना क्रियान्वयन की अवधि में शासकीय अभिकरण द्वारा प्राविधानित की जाने वाली नगर स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं यथा- बन्धा निर्माण, रिंग रोड, फ्लाई ओवर, मैट्रो आदि जिनका लाभ प्रस्तावित टाउनशिप को मिलेगा, की समानुपातिक लागत विकासकर्ता कम्पनी द्वारा वहन की जायेगी।
35. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा किये गये अन्य वाहय विकास का लाभ यदि विकासकर्ता कम्पनी को होता है तो उसका समानुपातिक मूल्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर 30 दिन के अन्दर प्राधिकरण को देय होगा।
36. भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा आवश्यक हो एवं सम्पूर्ति प्रमाण पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य पूर्ण कराना होगा। सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के साथ फायर विभाग का पूर्णता प्रमाण पत्र, वाहय विकास/आन्तरिक विकास का पूर्णता प्रमाण पत्र, निर्माण भूकम्परोधी कराये जाने का प्रमाण पत्र सम्बन्धी एन०ओ०सी० प्रस्तुत करनी होगी।
37. फ्लैटों के कारपेट एरिया की अधिकतम व न्यूनतम क्षेत्रफल शासनादेश के अनुसार सुनिश्चित करना होगा।
38. विभिन्न विभागों द्वारा जारी अनापत्ति पत्रों में दिये गये निर्देशों/प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।
39. साईकिल ट्रैक का निर्माण मानकों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।
40. स्वीकृत पार्किंग स्थल का उपयोग केवल पार्किंग के लिए किया जायेगा कोई अन्य उपयोग/निर्माण शमनीय नहीं होगा।
41. पार्किंग का निर्माण मानचित्र में दर्शित ग्रिड के अनुरूप एवं पूर्णता प्रमाण पत्र के समय पार्किंग प्लान ग्रिड सहित प्रस्तुत करना होगा।
42. नियमानुसार दर्शित पार्किंग स्थल पर ही पार्किंग करनी होगी, सडक पर पार्किंग अनुमन्य नहीं होगी पार्किंग का 10 प्रतिशत विजिटर्स पार्किंग हेतु आरक्षित रखनी होकगी।
43. अपार्टमेंट एक्ट 2010 एवं रूल्स-2011 का अनुपालन करना होगा।
44. बेसमेंट की खुदाई से पूर्व खनन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।

45. निर्माण अवधि मे स्थल पर कार्यरत श्रमिको हेतु शौचालय आदि जन सुविधाओं का पर्यावरण के अनुकूल प्राविधान करना होगा।

46. निर्माणाधीन अवधि मे निर्माण स्थल पर धूल से बचने हेतु समुचित कवर का प्राविधान किया जाये, निर्माण सामग्री के परिचालन एवं उनके उपयोग की अवधि में निर्माण सामग्रियो पर पानी का छिड़काव किया जाए एवं डस्ट सस्पेंशन यूनिट का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाये। इसके साथ–साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निर्माण सामग्रियों को ले जाने हेतु ढके हुए वाहनो का प्रयोग किया जाये।

47. मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित दिशा निर्देशों का निर्माण स्थल पर अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

1- Every builder/owner shall put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building. No person including builder, owner can be permitted to store any construction material particularly sand on any part of the street, roads in any colony.

2- 'The construction material of any kind that is stored in the site will be fully covered in all respects so that it does not disperse in the air in any form.

3- All the construction material and debris shall be carried in the trucks or other vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or the construction material does not get dispersed into the air or atmosphere, in any form whatsoever.

4- The dust emissions from the construction site should be completely controlled and all precautions taken in that behalf.

5- The vehicles carrying construction material and construction debris of any kind should be cleared before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.

6- Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction material and construction debris shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particles.

7- Every owner and/or builder shall be under obligation to provide all medical help, investigation and treatment to the workers involved in the construction of building and carry of construction material and debris relatable to dust emission.

8- It shall be the responsibility of every builder to transport construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place in accordance with rules and in terms of this order.

9- All builders/owners should take appropriate measures and strictly comply with by fixing sprinklers and creations of green air barriers on construction site. Compulsory use of wet-jet in grinding and stone cutting.

10- Wind breaking walls around constructin site.

11- All builders shall ensure that C&D waste is transported and disposed to the C&D waste site only and due record in that behalf shall be maintained by the builders and transporters.

12- Use of covering sheets should be done for trucks to prevent dust dispersion from the trucks, implemented by district offices.

13- Proponent shall ensure that periodical auto maintenance report from the contractor to avoid vehicular pollution.

14- Proponent should manage transportation route for vehicles in a well-planned manner to avoid traffic havocs.

15- The entry and exit points design is very important as it should not disturb the existing traffic.

16- Inspection & Maintenance has definite utility on emission performance, Regular vehicle inspection to be done by the contractor to enhance the efficiency of work and to reduce the risk of unwarranted air pollution.

17- Fitness certification is a statutory requirement for commercial vehicles and public transport vehicles. Periodicity for certification is once in a Year.

18- Pollution Under Control (PUC) certificates are required to be obtained every three months for all categories of vehicles. In case of diesel vehicles, free acceleration smoke is measured.

19- Life of vehicle should be inspected to avoid further air pollution.

20- Overloading is another big challenge and the shall be dealt by the proponent as well as State Authorities by installing check booth at entry points.

21- Viable emission control technologies exist to reduce diesel exhaust emissions designed to control particulate matter (PM) should be installed/used such as Diesel oxidation

catalysts (DOCs), Diesel particulate filters (DPFs), Exhaust gas recirculation (EGR), Selective catalytic reduction (SCR), Lean Nox catalysts (LNCs), Lean NOx traps (LNTs).

22- Green belt creation will also act as a mitigating factor.

संलग्न–स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

सी0ए0टी0पी0
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

पृष्ठांकन /एम0पी0/ /जोन–3/16 दिनांक–

प्रतिलिपि–

प्रवर्तन जोन–3 को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सी0ए0टी0पी0
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

क्रमांक :- 316/मान०स्वी०/जोन 3/17
दिनांक :- 28/7/17

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

मानचित्र संख्या 103/जोन-3/2016/G.H.(पुन०)16-17 दिनांक 28/7/17

(मानचित्र स्वीकृति पत्र)

सेवा में,

मै0 श्रेया डवलर्स प्रा0 लि0 (कन्सोर्शियम),
रजि0 आफिस ग्राउण्ड फ्लोर, बी-12,
आर0डी0सी0 राजनगर, गाजियाबाद।

महोदय,

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 25.05.17 के सन्दर्भ में आपके राजस्व ग्राम-कुशलिया परगना डासना तहसील गाजियाबाद के खसरा सं0-1542मि0, 1543मि0, 1571मि0, 1565मि0, 1569मि0, 1541मि0, के भू-भाग पर समाजवादी आवासीय योजना के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग निर्माण हेतु प्रस्तावित पुनरीक्षित मानचित्र संख्या- 103/जी0एच0/पुन0/जोन-3/16 दिनांक 25.05.17 की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 28.06.17 को निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति दिनांक 14.10.16 से केवल पाँच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी.डी.ए.) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नही होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में किसी कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नही होगी उसे शासन अथवा किस स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नही है।
6. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये जायेंगे कि सड़क की ओर न खुले।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर को निर्माण कार्य नही किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटिरियल) नही रखी जायेगी तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वंय करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेसीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्ही की होगी।
10. यह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते है तो शर्त भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा बैक लेन मे निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नही बनाये जायेंगे यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. रूफ टाफ के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु धनांक रू0 2,00,000.00 (दो लाख रूपये मात्र) की एफ0डी0आर0 उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नाम बन्धक पूर्व में मूल पत्रावली में प्रस्तुत की गयी, जो कि भवन सम्पूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के निर्माण एवं यथोचित संचालन की पुष्टि होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि एवं निर्धारित मानकों के अनुसार खुले भाग में रिचार्ज पीट/रिचार्ज शैफ्ट की स्थापना सुनिश्चित करनी होगी।
13. विशेष सचिव एवं शहरी नियोजन उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-134/आठ-7-17-34 बैठक/2014 दिनांक 09.03.17 के अनुसार लेबर सेस का भुगतान प्रत्येक वित्त वर्ष में किये गये निर्माण व्यय के आधार पर स्वयं जमा कराना होगा।

29. बेसमेन्ट एवं भवन निर्माण के समय सुरक्षा मानको का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा किसी भी प्रकार की क्षति के सम्बन्ध मे निर्माणकर्ता/भू-स्वामी स्वंय उत्तरदायी होंगे। उक्त के सम्बन्ध मे प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

30. भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी एवं भूकम्परोधी होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं स्ट्रक्चरल डिजाईन व ड्राईंग आई.आई.टी. रूड़की/दिल्ली/समतुल्य संस्थान से वेट कराकर प्रस्तुत करने के उपरान्त ही मानचित्र निर्गत किया जायेगा, तदनुसार ही स्थल पर भूकम्परोधी निर्माण स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देख-रेख में कराना होगा। भूकम्परोधी व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन के निर्गत आदेशों, संख्या 570/9-आ-1-2001-भूकम्परोधी/2001 (आ.ब.) दिनांक 03.02.2001, 772/9-आ-1-2001-भूकम्परोधी/2001 (आ.ब.)दिनांक 13.02.2001 तथा शासनादेश संख्या 3751/9-आ-1-2001-भूकम्परोधी/2001 (आ.ब.)दिनांक 20.07.2001 में अंकित प्राविधानों एवं प्रतिबन्धों का पालन करना होगा। उक्त के अतिरिक्त निम्न पूरक प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा :-

(क) भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता जिन्हें भवन के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, अनुबन्धित किया जायेगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थायें करने के लिए जो डिजाईन अनुमोदित की गयी है। उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।

(ख) भवन निर्माण में जो मुख्य सामग्रियों सीमेन्ट, स्टील/स्टोन ग्रिट, ईंटें, कोर्स सैन्ड एवं मार्टर तथा कंकरीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्य स्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैम्पलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रासायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्य स्थल पर ही उपलब्ध रहे ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जाये जो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सकें।

(ग) यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी जो आगे का निर्माण कार्य रूकवाते हुए निर्माण को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता: प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा वरन निर्माणकर्ता व उसके सहायक क्रिमिनल शिथिलता की परिधि मे मानें जायेगें व तदनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।

(घ) कार्य स्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फुट x 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का नाम, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाईन इंजीनियर एवं सुपरविजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सकें। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य स्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेगें।

1. नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।
2. अनुमोदित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा दी गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधन सम्बन्धी संस्तुतियाँ।
3. अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चर की गणनायें एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल।
4. अधिकृत आर्किटैक्ट द्वारा हस्ताक्षर एव मुहर युक्त समस्त वर्किंग ड्राईंग जिनमें सैक्शन एवं एलीवेशन तथा सर्विसेज डिटेल इत्यादि शमिल रहेंगे।
5. भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी. एण्ड पी. का विवरण।
6. साईट इंजीनियर इन्सपेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर
7. सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर

31. स्थल पर 50 वृक्ष प्रति हेक्टेयर की दर से रोपित करना होगा।

32. सोलर वाटर हीटिंग इक्यूपमेन्ट सिस्टम का प्राविधान बी.आई.एस. कोड के अनुसार एंव शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुरूप करना होगा।
33. रोड वाइडेनिंग से प्रभावित भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य न होगा तथा बाउण्ड्रीवाल रोड वाइडेनिंग के उपरान्त बनानी होगी।
34. विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत सर्विस प्लान के अनुसार जिसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाऐं जैसे–सड़क, सीवर, सीवर डिस्पोजल, ड्रेन, ड्रेन डिस्पोजल, पीने के पानी की व्यवस्था इत्यादि का प्राविधान स्थल पर सुनिश्चित करना होगा।
35. समस्त बाह्य एवं आन्तरिक विकास कार्य पक्ष को स्वयं करने होगें, तथा सीवर डिस्पोजल की व्यवस्था हेतु ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्वयं निर्मित करना होगा।
36. कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
37. 15 प्रतिशत ग्रीन पार्क के नीचे बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य एवं शमनीय नहीं होगा।
38. विकलांग व्यक्तियों हेतु नियमानुसार रैम्प का निर्माण करना होगा।
39. अन्दर के खुले/स्थल पार्क का उपयोग उसी रूप में करना होगा, अन्य उपयोग की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
40. मानचित्र स्वीकृति, भू–स्वामित्व को प्रभावित नहीं करेगी। भू–स्वामित्व सम्बन्धी वाद विवाद होने तथा सरकारी भूमि पाये जाने की स्थिति मे पक्ष स्वयं जिम्मेदार होगा तथा दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
41. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा यदि किसी शुल्क की मांग की जाती है तो उसे पक्ष को जमा कराना होगा।
42. विभिन्न मदों में प्राधिकरण में जमा की जाने वाली धनराशि को जमा किये जाने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को मानना होगा।
43. बेसमेन्ट में मैकेनिकल वेन्टीलेशन की व्यवस्था करनी होगी।
44. गणना में त्रुटि एवं इसके कारण देय शुल्कों में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसका भुगतान पक्ष को करना होगा।
45. योजनान्तर्गत समस्त आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य कराये जाने का दायित्व विकासकर्ता मै0 श्रेया डवलपर्स प्रा0लि0 (कन्सोर्शियम) द्वारा स्वयं का है। जो कि निर्धारित मानको एवं विशिष्टियों के अनुसार अपनी लागत पर विकासकर्ता को स्वंय कराने होगें। परियोजना क्रियान्वयन की अवधि में शासकीय अभिकरण द्वारा प्राविधनित की जाने वाली नगर स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं यथा–बन्ध निर्माण, रिंग रोड, फ्लाई ओवर, मेट्रो आदि जिनका लाभ प्रस्तावित टाउनशिप को मिलेगा, की समानुपातिक लागत विकासकर्ता कंपनी द्वारा वहन की जायेगी।
46. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा किये गये अन्य बाह्य विकास का लाभ यदि विकासकर्ता को होता है तो उसका समानुपातिक मूल्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर 30 दिन के अन्दर प्राधिकरण को देय होगा।
47. भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य पूर्ण कराना होगा। सम्पूर्ति प्रमाण पत्र जारी होने से पूर्व किसी भी आवंटी को भवन के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के साथ फायर विभाग का पूर्णता प्रमाण पत्र, वाहय विकास/आन्तरिक विकास का पूर्णता: प्रमाण पत्र, निर्माण भूकम्प विरोधी कराये जाने का प्रमाण पत्र सम्बन्धी एन.ओ.सी. प्रस्तुत करनी होगी।
48. फ्लैटों के कारपेट एरिया की अधिकतम व न्यूनतम क्षेत्रफल शासनादेश के अनुसार सुनिश्चित करना होगा।
49. विभिन्न विभागों द्वारा जारी अनापत्ति पत्रों में दिये गये निर्देशों/प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।
50. साईकिल ट्रैक का निर्माण मानकों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।
51. स्वीकृत पार्किंग स्थल का उपयोग केवल पार्किंग के लिए किया जायेगा कोई अन्य उपयोग/ निर्माण शमनीय नहीं होगा।
52. पार्किंग का निर्माण मानचित्र मे दर्शित ग्रिड के अनुरूप करना होगा एवं पूर्णता प्रमाण पत्र के समय पार्किंग प्लान ग्रिड सहित प्रस्तुत करना होगा।

53. नियमानुसार दर्शित पार्किंग स्थल पर ही पार्किंग करनी होगी, सड़क पर पार्किंग अनुमन्य नहीं होगी। पार्किंग का 10 प्रतिशत Visitors Parking हेतु आरक्षित रखनी होगी।
54. अपार्टमेंट एक्ट 2010 एवं रूल्स–2011 का अनुपालन करना होगा।
55. भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 का अनुपालन करना होगा।
56. बेसमेन्ट की खुदाई से पूर्व खनन विभाग की एन.ओ.सी. प्राप्त करनी होगी।
57. जल दोहन के सम्बन्ध में सैन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी की अनापत्ति हेतु प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 25.07.17 का पालन करना होगा।
58. पूर्व निर्गत मानचित्र के आधार पर विकासकर्ता द्वारा किसी वित्तीय संस्था/बैंक से ऋण प्राप्त किया गया है, अथवा नही एवं किसी फ्लैट का विक्रय/आवंटन किया गया है, के सम्बन्ध में प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 13.06.2017 में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिए विकासकर्ता उत्तरदायी होगा।
59. मैकेनिकल वन्टिलेशन हेतु प्रस्तावित शाफ्ट का क्षेत्रफल प्रस्तावित मैकेनिकल सिस्टम के वास्तविक डिजाईन के आधार पर होगा एवं 24 घण्टे पावर बैकअप की व्यवस्था सम्बन्धी प्राविधान सुनिश्चित करने हेतु विकासकर्ता को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
60. निर्माण अवधि में स्थल पर कार्यरत श्रमिको हेतु शौचालय आदि जनसुविधाओं का पर्यावरण के अनुकूल प्रविधान करना होगा।
61. निर्माणाधीन अवधि में निर्माण स्थल पर धूल से बचने हेतु समुचित कवर का प्राविधान किया जायें, निर्माण सामग्री के परिचालन एवं उनके उपयोग की अवधि में निर्माण सामग्रियों पर पानी का छिड़काव किया जायें एवं डस्ट सस्पेशन यूनिट का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जायें। इसके साथ–साथ यह भी सुनिश्चित किया जायें कि निर्माण सामाग्रियों को ले जाने हेतु ढके हुए वाहनों का प्रयोग किया जायें।
62. मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित निम्न दिशा निर्देशों का निर्माण स्थल पर अनुपालन सुनिश्चित करना होगा:–

i. Every builder/owner shall put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building. No person including builder, owner can be permitted to store any construction material particularly sand on any part of the street, roads in any colony.

ii. The construction material of any kind that is stored in the site will be fully covered in all respects so that it does not disperse in the air in any form.

iii. All the construction material and debris shall be carried in the trucks or other vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or the construction material does not get dispersed into the air or atmosphere, in any form whatsoever.

iv. The dust emissions from the construction site should be completely controlled and all precautions taken in that behalf.

v. The vehicles carrying construction material and construction debris of any kind should be cleared before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.

vi. Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction material and construction debris shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particles.

vii. Every owner and/or builder shall be under obligation to provide all medical help, investigation and treatment to the workers involved in the construction of building and carry of construction material and debris relatable to dust emission.

viii. It shall be the responsibility of every builder to transport construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place in accordance with rules and in terms of this order.

ix. All builders/owners should take appropriate measures and strictly comply with by fixing sprinklers and creations of green air barriers on construction site. Compulsory use of wet-jet in grinding and stone cutting.

x. Wind breaking walls around construction site.

xi. All builders shall ensure that C&D waste is transported and disposed to the C&D waste site only and due record in that behalf shall be maintained by the builders and transporters.

xii. Use of covering sheets should be done for trucks to prevent dust dispersion from the trucks, implemented by district offices.

xiii. Proponent shall ensure that periodical auto maintenance report from the contractor to avoid vehicular pollution.

xiv. Proponent should manage transportation route for vehicles in a well-planned manner to avoid traffic havocs.

xv. The entry and exit points design is very important as it should not disturb the existing traffic.

xvi. Inspection & Maintenance has definite utility on emission performance. Regular vehicle inspection to be done by the contractor to enhance the efficiency of work and to reduce the risk of unwarranted air pollution.

xvii. Fitness certification is a statutory requirement for commercial vehicles and public transport vehicles. Periodicity for certification is once in a Year.

xviii. Pollution Under Control (PUC) certificates are required to be obtained every three months for all categories of vehicles. In case of diesel vehicles, free acceleration smoke is measured.

xix. Life of vehicle should be inspected to avoid further air pollution.

xx. Overloading is another big challenge and the shall be dealt by the proponent as well as State Authorities by installing check booth at entry points.

xxi. Viable emission control technologies exist to reduce diesel exhaust emissions designed to control particulate matter (PM) should be installed/used such as Diesel oxidation catalysts (DOCs), Diesel particulate filters (DPFs), Exhaust gas recirculation (EGR), Selective catalytic reduction (SCR), Lean Nox catalysts (LNCs), Lean NOx traps (LNTs).

xxii. Green belt creation will also act as a mitigating factor.

उपरोक्त समस्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा। अन्यथा की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

संलग्नकः– मानचित्र का सैट।

मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
28/7/2017

पृष्ठांकन : 316(i)/मा० प्लान/जोन-3 दिनांक 28/7/17

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

14. प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 06.05.2016 एवं 24.05.2017 तथा विक्रय विलेख की समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।
15. आप द्वारा योजना का क्रियान्वयन डी.पी.आर. के अनुमोदित तिथि 14.10.16 से एक वर्ष/निस्तारित अवधि के अन्दर प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में विकासकर्ता को विकास शुल्क भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क व स्टाम्प-शुल्क में दी गयी छूट तथा अन्य इन्सेन्टिव वापस ले लिये जायेगें।
16. आप द्वारा योजना के विकास/निर्माण कार्य पूर्ण किये बिना भूमि अथवा उसके किसी भू-भाग का हस्तान्तरण/सब-लीजिंग अनुमन्य नहीं होगी। उल्लंघन की दशा में विकासकर्ता को प्रदत्त समस्त रियायतें/इन्सेन्टिव वापस ले लिये जायेगें।
17. डी.पी.आर./परियोजना की स्वीकृति के समय रू0 100/- के स्टाम्प पेपर पर दिये गये शपथ पत्र अण्डरटैकिंग दिनांक 07.10.2015 के अनुसार अफोर्डेबल हाउसिंग के अन्तर्गत निर्मित भवनों की इस नीति के अधीन सीलिंग कास्ट से अधिक लागत पर तथा किसी व्यक्ति को एक से अधिक भवन/फ्लैट का आवंटन/विक्रय नहीं करेगा।
18. आप द्वारा विकसित योजना की सेवाओं का नगर निगम को हस्तान्तरण होने तक इनके रख-रखाव हेतु अनुबन्ध निष्पादित करना होगा योजनान्तर्गत निर्मित अपार्टमेन्ट में कॉमन सुविधाओं के रख-रखाव हेतु उ0प्र0 अपार्टमेन्ट अधिनियमों के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।
19. योजना के विकास एवं निर्माण कार्य अनुमोदित डी.पी.आर. के अनुसार समयबद्ध एवं गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करना होगा। योजना के समस्त बाह्य एवं आन्तरिक विकास कार्य विकासकर्ता द्वारा अपनी लागत पर स्वयं क्रियान्वयन किये जायेगें। परन्तु कतिपय ट्रंक अवस्थापना सुविधाओं यथा ड्रेनेज, सर्विसेज, जलापूर्ति आदि के लिए यदि कनेक्टिविटी प्राप्त की जाती है तो प्राधिकरण में समानुपातिक व्यय जमा कराना होगा।
20. अफोर्डेबल हाउसिंग योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य की जा रही विभिन्न रियायतों को ध्यान में रखते हुए भवनों को सीलिंग कास्ट 75 वर्ग मीटर कार्पेट एरिया की इकाई के लिए अधिकतम रू0 30 लाख होगी, जबकि इससे कम क्षेत्रफल के कारपेट एरिया की इकाईयों के लिए 'प्रो-राटा' आधार पर कम रखनी होगी।
21. तहसील द्वारा प्राप्त एन.ओ.सी. के आधार पर चकरोड व नालियो पर निर्माण की अनुमति प्रदान की गयी है। चकरोड व नालियों के एक्सचेंज डीड की भी कार्यवाही की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी, तथा चकरोड व नालियों/सरकारी भूमि में प्रभावित भाग पर स्थिति निर्माण/फ्लैटों का विक्रय एक्सचेंज डीड की कार्यवाही के उपरान्त ही किया जायेगा। इस पर किसी भी प्रकार के वाद/विवाद होने की दशा में पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
22. समाजवादी आवास योजना नीति हेतु निर्गत शासनादेश 12/2016/119/ आठ-1-16-34बैठक/ 2014 दिनांक 12.01.2016, 13/2016/120/ आठ-1-16-34 बैठक/2014 दिनांक 12.01.2016 में उल्लेखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
23. प्रस्तुत समस्त शपथ पत्रों में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
24. जल निगम की अनापत्ति पत्र संख्या- 1085/50 क्यूसेक रखरखाव/34 दि0 07.07.17 की समस्त शर्तो का पालन सुनिश्चित करना होगा।
25. अग्निशमन विभाग की अनापत्ति पत्र संख्या- 75/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ/411 दि0 08.01.16 की समस्त शर्तो का पालन सुनिश्चित करना होगा।
26. प्रदूषण/पर्यावरण विभाग, हिण्डन एयरफोर्स, विद्युत व्यवस्था हेतु उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन एवं एन.सी. आर. बोर्ड की एन.ओ.सी. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी ।
27. विद्युत व्यवस्था हेतु उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन से स्वयं कनेक्शन प्राप्त करना होगा।
28. संरचना सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं पक्ष का होगा तथा पक्ष द्वारा भूकम्परोधी शासनादेशो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।